

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा						
ए. सामान्य आंकड़े						
क्र.सं.	विवरण			आंकड़े		
1	क्षेत्रफल			1483 वर्ग किमी		
2	जनसंख्या					
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार		1.39 करोड़		
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार		1.68 करोड़		
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		9340 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्गकिमी.)		11320* व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.5** प्रतिशत)			15.60** प्रतिशत		
5	ए.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)		81.67 प्रतिशत		
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0* प्रतिशत)		86.21* प्रतिशत		
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** = 39 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)			20.0***		
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 67.5 वर्ष)			ल.न.		
8.	गिनी गुणांक****					
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)		0.25		
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)		0.35		
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2015-16 वर्तमान मूल्य पर			₹ 5,58,745.26 करोड़		
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2006-07 से 2015-16)		दिल्ली	13.77 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी के राज्य	14.27 प्रतिशत		
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2006-07 से 2015-16)		दिल्ली	17.04 प्रतिशत		
			सामान्य श्रेणी के राज्य	15.75 प्रतिशत		
बी. वित्तीय आंकड़े						
क्र.सं.		विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
1	मि.वा. वृ.द्ध.		2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
			सामान्य श्रेणी राज्य +	दिल्ली	सामान्य श्रेणी राज्य+	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति	14.74	10.35	15.00	18.30
	बी.	स्वयं का कर राजस्व	15.08	11.29	13.28	13.61
	सी.	गैर कर राजस्व	10.20	-8.90	6.00	-18.52
	डी.	कुल व्यय	16.71	9.73	16.42	14.05
	ई.	पूँजीगत व्यय	13.21	10.57	25.80	7.26
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.08	14.40	12.17	3.21
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.70	14.17	13.44	3.74

सामान्य आंकड़ों के स्रोत:

*सेंससइंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

**निर्धनता, योजना आयोग के मापन हेतु प्रविधि की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट (जून 2014), पेज 66

***नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन सितंबर 2014, वॉल्यूम 50, जुलाई 2016

****2009-10 के लिए योजना आयोग के आंकड़े,

***** मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

+ सीएसओ (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspx?staus=3-menu_id=82) (असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए स.रा.घ.उ. संबंधित प्र.म.ले./म.ले. से लिया गया है।)

परिशिष्ट 1.2 (पैराग्राफ 1.1 को देखें) पार्ट ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट:	
<p>सरकारी लेखों की संरचना: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं—(i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।</p> <p>भाग I: समेकित निधि: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।</p> <p>भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।</p>	
पार्ट बी: वित्तीय लेखों का ले आउट	
विवरणी	ले आउट
विवरणी सं.1	रा.रा.क्षे.दि.स. के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां तथा व्यय, राजस्व तथा पूंजी, लोक ऋण प्राप्तियां एवं संवितरण इत्यादि
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अंतर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय
विवरणी सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूंजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियां उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी हुए पदों की परिभाषा नीचे दी गई है:

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.दद.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि}/\text{पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं})2]*100$
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{ब्याज प्राप्ति} [\text{प्रारंभिक शेष}+\text{ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष}2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्ति-विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पार्ट ए: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
(i) कर राजस्व	19,971.67	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	13,750.95	15,803.69	17,925.71	18,289.31	20,245.82
राज्य उत्पाद शुल्क	2,533.72	2,869.74	3,151.63	3,422.39	4,237.69
वाहनों पर शुल्क	1,049.19	1,240.18	1,409.28	1,558.83	1,607.01
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,240.25	3,098.06	2,969.07	2,779.88	3,433.60
भूमि राजस्व	0.01	0.01	0.01	61.79	0.51
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	397.54	419.84	463.00	491.70	700.53
(ii) गैर कर राजस्व	460.87	626.93	659.14	632.54	515.40
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश		-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,960.64	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	376.25	724.90	802.92	227.61	83.41
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	22,769.42	26,285.87	28,783.60	29,812.20	35,082.26
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	556.08	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	556.08	922.41	4,162.89	1,764.32	2,241.13
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियां (4+5)	23,325.50	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,323.39
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	10.00
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	23,325.50	27,208.28	32,946.49	31,576.52	37,333.39
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,964.86	20,659.36	22,366.52	23,509.49	26,342.55
योजनागत	6,440.86	6,498.72	7,462.28	7,946.30	8,379.32
गैरयोजनागत	11,524.00	14,160.64	14,904.24	15,563.19	17,963.23
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	4,347.23	5,738.57	5,597.48	5,983.40	6,427.12
सामाजिक सेवाएं	10,717.11	11,737.43	12,314.54	13,306.11	14,817.83
आर्थिक सेवाएं	21,72.22	2,350.82	3,650.01	3,318.99	4,138.71
सहायता अनुदान और योगदान	728.29	832.53	804.50	900.99	958.89

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
11. पूंजीगत व्यय	4,004.27	4,176.63	4,707.42	4,403.94	4,723.47
योजनागत	3,999.96	4,171.74	4,702.93	4,399.12	4,712.43
गैर योजनागत	4.31	4.90	4.49	4.82	11.04
सामान्य सेवाएं	188.82	196.88	265.48	371.10	377.66
सामाजिक सेवाएं	578.23	1,100.95	1,542.54	1,330.11	1,699.15
आर्थिक सेवाएं	3,237.22	2,878.81	2,899.41	2,702.73	2,646.66
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	3,345.42	3,734.83	5,652.37	1,679.94	2,684.32
13. कुल (10+11+12)	25,314.55	28,570.82	32,726.31	29,593.37	33,750.34
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,087.88	1,287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17
आंतरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,087.88	1,287.99	1,325.29	1,346.72	1,435.17
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	10.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	26,402.42	29,858.81	34,051.60	30,940.10	35,195.51
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	26,402.42	29,858.81	3,4051.60	30,940.10	35,195.51
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)4,428.31	(+)4,901.61	(+)5,614.17	(+)6,075.10	(+)8,656.30
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य(+) (4+13)	(-)2,545.20	(-)2,284.95	(-)3,942.71	(+)218.83	(+)1,331.92
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+)372.06	(+)577.93	(-)1,118.42	(+)2,992.83	(+)4,141.73
पार्ट डी. अन्य ऑकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2917.26	2862.88	2824.29	2774.00	2809.81
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वपाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा. घ.उ.)	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
28. बकाया राजकोषीय देयताएं	29,608.29	29,242.71	32,080.32	32,497.91	33,303.87

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
29. बकाया गारण्टियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.82	5.99	5.80	5.38	5.41
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.13	0.16	0.15	0.13	0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	7.37	7.31	7.32	5.98	6.04
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	113.05	111.78	116.96	100.03	96.43
राजस्व व्यय/कुल व्यय	70.97	72.31	68.34	79.44	78.05
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	51.88	50.23	46.60	53.85	51.92
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	27.48	22.58	32.26	21.48	23.33
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	15.82	14.62	14.38	14.88	14.00
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	15.07	13.93	13.57	13.63	12.88
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+) 1.29	(+)1.25	(+)1.26	(+)1.23	(+)1.55
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(-) 0.74	(-)0.58	(-)0.88	(+)0.04	(+)0.24
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(+) 0.11	(+) 0.15	(-)0.25	(+)0.61	(+)0.74
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/ स.रा.घ.उ.	8.63	7.48	7.18	6.57	5.96
राजकोषीय देयताएं/आर आर	132.22	114.40	114.65	109.85	95.16
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	4.74	46.47	(-)75.89	448.52	285.75
ऋण मुक्ति (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.23	0.16	0.07	0.07	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	9,887.38	10,231.39	12,000.50	12,001.21	15,682.35
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	94.79	97.88	99.14	98.60	96.90

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियां

	2011-12 (पी)	2012-13 (पी)	2013-14 (पी)	2014-15 (पी)	2015-16 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,43,260.41	3,91,071.36	4,46,806.82	4,94,460.34	5,58,745.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	35.81	13.93	14.25	10.67	13.00

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
(आर)- संशोधित, (पी)- वैकल्पिक, (क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

	2011-12 (पी)	2012-13 (पी)	2013-14 (पी)	2014-15 (पी)	2015-16 (ए)
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71

स्रोत: 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

जिसमें तीन राज्य - गोआ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.5
पार्ट ए: वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

सेक्शन ए: राजस्व			संवितरण				
प्राप्तियां			संवितरण				
2014-15		2015-16	2014-15		2015-16		
					गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
29,584.59	I. राजस्व प्राप्ति	34,998.85	23,509.49	I. राजस्व व्यय	17,963.23	8,379.32	26,342.55
26,603.90	कर राजस्व	30,225.16	5,983.40	सामान्य सेवाएं	5,974.05	453.07	6,427.12
			13,306.11	सामाजिक सेवाएं	7,374.67	7,443.16	14,817.83
632.54	गैर-कर राजस्व	515.40	6,058.18	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	4,784.61	1,868.02	6,652.63
			3,131.56	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,645.23	1,603.39	3,248.62
-	संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2,116.60	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	425.56	2,124.83	2,550.39
			14.50	सूचना एवं प्रसारण	85.92	0	85.92
327.95	गैर- योजनागत अनुदान	2905.02	238.12	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9.94	241.89	251.83
1,467.36	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	486.72	100.73	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	95.84	20.95	116.79
			1,637.14	समाज कल्याण एवं पोषण	317.22	1583.88	1,901.10
552.84	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	866.55	9.28	अन्य	10.35	0.20	10.55
			3,318.99	आर्थिक सेवाएं-	3,655.62	483.09	4,138.71
			86.13	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियां	85.74	7.29	93.03
			9.87	ग्रामीण विकास	8.55	1.69	10.24
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			136.27	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	151.09	0.16	151.25
			853.44	ऊर्जा	1,637.81	1.04	1,638.85
			30.60	उद्योग एवं खनिज	10.39	29.32	39.71
			2,034.79	परिवहन	1,632.47	409.74	2,042.21
			19.79	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.89	10.03	11.92
			148.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	127.68	23.82	151.50
			900.99	सहायता अनुदान एवं योगदान	958.89	-	9,58.89
			23,509.49	कुल	17,963.23	8,379.32	2,6342.55
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		6,075.10	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	-	-	8,656.30
29,584.59	कुल	34,998.85	29,584.59	कुल			34,998.85

सेक्शन बी: पूंजीगत एवं अन्य			संवितरण				
प्राप्तियां			संवितरण				
2014-15		2015-16			गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
880.65	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	1,517.07		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	iv. विविध पूंजीगत प्राप्तियां			iv. पूंजीगत रूपरेखा			
			371.10	सामान्य सेवाएं-	7.05	370.61	377.66
			1,330.11	सामाजिक सेवाएं-	0.19	1,698.96	1,699.15
			496.64	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	1013.26	1013.26
			490.44	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.19	385.47	385.66
			258.38	जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	231.36	231.36
				सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			38.54	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	34.63	34.63
			32.54	समाज कल्याण एवं पोषण	0	14.70	14.70
			13.57	अन्य	0	19.54	19.54
			2,702.73	आर्थिक सेवाएं-	3.79	2,642.87	2,646.66
			17.33	कृषि एवं अन्य सब गतिविधियां	0	18.19	18.19
			116.36	ग्रामीण विकास	0	103.60	103.60
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			86.31	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.79	48.40	52.19
			85.32	ऊर्जा	0	12.98	12.98
			27.27	उद्योग एवं खनिज	0	30.00	30.00
			2,363.75	परिवहन	0	2,428.75	2,428.75
			0.39	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.95	0.95
			6.00	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	0	0
			4,403.94	कुल	11.04	4,712.43	4,723.47
227.61	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	83.41	1,679.94	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	-	-	2,684.32
	पॉवर परियोजनाओं से		295.00	पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	470.00
	सरकारी कर्मचारियों से		0.71	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	0.47
	अन्यों से		1,384.23	अन्यों का	-	-	2,213.85
	vi. राजस्व अधिशेष कम किया गया			vi. राजस्व घाटा कम किया गया			

सेक्शन बी: पूंजीगत एवं अन्य			संवितरण				
प्राप्तियां			संवितरण				
2014-15		2015-16			गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
1,764.32	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	2,241.13	1,346.73	VII. लोक ऋण की पुनर्अदायगी-	-	-	1,435.18
-	बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
1,764.32	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,241.13	1,346.73	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्अदायगी	-	-	1,435.18
-	आकस्मिक निधि में विनियोजन	10.00	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन			10.00
-	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	IX आकस्मिक निधि से व्यय			-
-	लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	X. लोक खाता संवितरण			-
-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां			-
-	आरक्षित निधियां	-	-	आरक्षित निधियां			-
-	उच्चत एवं विविध	-	-	उच्चत एवं विविध			-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण			-
-	जमा एवं अग्रिम			जमा एवं अग्रिम			-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		1,517.07	XI अंत में नकद शेष-			3,654.94
				- खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
				- रिजर्व बैंक में जमा			-
				- स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
				नकद शेष निवेश			
32,457.17	कुल	38,850.46	32,457.17	कुल	-	-	38,850.46

परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2016 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31.03.2015 को	देयताएं		31.3.2016 को
32,497.91	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		33,303.87
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
32,497.90	गैर-योजनागत ऋण		33,303.86
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
-	केंद्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	0.01
71,090.80	राजस्व अधिशेष		79,747.10
1,587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,587.95
3,356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356.46
1,08,533.12	कुल		1,17,995.38
परिसम्पत्तियां			
49,826.44	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(ए)	54,549.92
17,660.35	कंपनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(बी)	18,492.15
32,166.09	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(ए-बी)	36,057.77
57,189.61	ऋण और अग्रिम	ए	59,790.52
10,450.52	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण	बी	10,918.49
31,837.82	अन्य विकास ऋण	सी=ए- (बी+डी)	33,380.84
14,901.27	सरकारी सेवकों को ऋण व विविध ऋण	डी	15,491.19
1,517.07	संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष		3,654.94
1,08,533.12	कुल		1,17,995.38

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आंकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तथा 31 मार्च 2016 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 49,826.44 करोड़ तथा ₹ 54,549.92 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1,587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016 के लिए क्रमशः ₹ 57,189.61 करोड़ तथा ₹ 59,790.52 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आंकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट-2.1

वर्ष 2015-16 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है
(पैराग्राफ 2.3.2 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
1	2225.01.800.98 अ.जा./अ.ज.जा तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	24.07	25.14	1.07
2	2225.01.277.64.00.42 अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु छात्रावास (एस.सी.एस.पी.)	17.09	19.57	2.48
3	2041.00.800.96 सड़क सुरक्षा सैल गै.स.स. को सहायता अनुदान	3,611.34	3,626.59	15.25
4	4235.02.800.93.00.27 भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान (डबल्यू.सी.डी.)	50.00	97.96	47.96
अनुदान सं. 10: विकास				
5	2250.00.800 अन्य व्यय	66.93	75.03	8.10
6	2053.00.800.71 जिला शहरी विकास एजेंसी (डी.यू.डी.ए.) पश्चिम जिला को अनुदान	2,353	2,499.51	146.51
	कुल	6,122.43	6,343.80	221.37

परिशिष्ट - 2.2
₹ 10 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.4. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
राजस्व-दत्तमत								
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन								
1	2220.01.001.99-सूचना तथा प्रचार	526.19	-399.56	126.63	85.42	41.21	32.54	प्रचार अभियान आरंभ नहीं किया जा सका था।
अनुदान सं. 03: न्याय का प्रशासन								
2	2014.00.105.99 सिविल तथा सेशन कोर्ट	499.73	282.69	782.42	480.92	301.50	38.53	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
3	2014.00.108.99 क्रिमिनल कोर्ट	63.60	-1.19	62.41	47.12	15.29	24.50	कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम दौरों एवं बिजली पर कम खर्च।
अनुदान सं. 05: गृह								
4	2056.00.001.99 जेल	197.15	-4.07	193.08	144.07	49.01	25.38	कम दावे/बिल, विदेशी दौरा न होना, कम प्रकाशन, डीजल की कम कीमत, कम रख रखाव कार्य तथा स्टोर मदों की कम खरीद एवं रिक्त पदों का होना।
अनुदान सं. 07: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
5	2210.01.110.33 दिल्ली कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	75.00	-58.00	17.00	0.00	17.00	100.00	कम अनुदान जारी किया गया तथा पिछले वर्ष के अप्रयुक्त सहायता अनुदान से व्यय किया गया।
6	2210.01.800.84 केंद्रीकृत दुर्घटना तथा अभिघात केंद्र	69.00	-25.00	44.00	26.65	17.35	39.43	कम अनुदान जारी किया जाना तथा वाहन की पूर्वानुमानित खरीद जो क्रियान्वित नहीं हो पाई।
7	2210.01.800.44.00.42 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस)	150.00	25.00	175.00	138.02	36.98	21.13	वास्तविक अनुदानों की कम प्राप्ति।
8	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	100.00	परियोजना का क्रियान्वित/प्रारंभ नहीं होना।
9	2210.01.110.87 जी बी पंत अस्पताल	216.68	0.49	217.17	206.87	10.30	4.74	रिक्त पदों, सी.पी.ए. के अंतर्गत खरीद तथा कुछ बिलों का भुगतान के लिए फाईनल न होना
10	2211.00.102.76.00.42 अस्पताल में पोस्टमार्टम यूनिटों पर व्यय	4.50	8.50	13.00	2.60	10.40	80.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
अनुदान सं. 08: समाज कल्याण								
11	2235.02.102.55.00.42 समेकित बाल विकास सेवाएं (सी एस एस)	120.00	-10.00	110.00	93.07	16.93	15.39	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति तथा खरीद प्रस्ताव का क्रियान्वित नहीं होना।
12	2236.02.101.82.00.42 पूरक पोषण कार्यक्रम (सी एस एस)	60.00	20.00	80.00	52.80	27.20	34.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
13	2225.01.277.73.00.34 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्र कक्षा 1 से 12 को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति (एस सी एस पी)	60.00	0.00	60.00	49.42	10.58	17.63	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
14	2225.01.789.95.00.42 स्कूलों में अ.जा. के बच्चों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति	55.00	0.00	55.00	39.56	15.44	28.07	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
15	2225.01.789.93.00.34 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्र कक्षा 1 से 12 को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति (एस सी एस पी)	44.00	0.00	44.00	30.82	13.18	29.95	भुगतान हेतु आवेदनों को पूर्णतः संवीक्षित नहीं किया गया था।
अनुदान सं. 10: समाज कल्याण								
16	2030.03.001.90.94 करों में अंश के बदले एस डी एम सी को सहायता अनुदान	600.00	-54.35	545.65	525.22	20.43	3.74	संपत्तियों की खरीद/बिक्री के कारण कम राजस्व तथा एम सी डी/एन डी एम सी को कम ट्रांसफर ड्यूटी प्रभारों का भुगतान।
17	2030.03.001.90.93 करों में अंशों के बदले ई डी एम सी को सहायता अनुदान	130.00	-5.00	125.00	109.08	15.92	12.74	संपत्तियों की खरीद/बिक्री के कारण कम राजस्व तथा एम सी डी/एन डी एम सी को कम ट्रांसफर ड्यूटी प्रभारों का भुगतान।
18	2235.01.200.94 पुर्नवास अन्य राहत उपाय	1.79	105.74	107.53	92.08	15.45	14.37	आवश्यक प्रमाणपत्रों की कमी के कारण लाभार्थी भुगतान के योग्य नहीं थे।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
19	2217.05.800.80.00.42 आधारभूत संरचना का सशक्तीकरण तथा वृद्धि	225.00	24.00	249.00	225.00	24.00	9.64	सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त नहीं होना।
20	2217.80.191.13 नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	404.38	-27.22	377.16	0.00	377.16	100.00	कम निधियों का जारी होना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचत के कारण
21	2059.80.053 रखरखाव तथा मरम्मत	350.00	0.00	350.00	322.76	27.24	7.78	लो.नि.वि. के पुनर्विन्यास के कारण देरी से कार्य सौंपा जाना।
22	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त राहत	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर प्राप्ति।
पूजी-दत्तमत								
अनुदान सं. 07: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
23	4210.01.110.64 केंद्रीय प्रापण एजेंसी तथा राज्य औषधि प्राधिकरण	0.00	35.00	35.00	9.38	25.62	73.20	निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
अनुदान सं. 08: समाज कल्याण								
24	5055.00.800.97.00.42 इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें परिवहन के वैकल्पिक साधन की शुरुआत	20.00	-9.00	11.00	0.00	11.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा लो.नि.वि. द्वारा उनको बी.आर.टी. कॉरीडोर तोड़ने के लिए दिए गए ₹ 10.98 करोड़ को खाते में नहीं लिए जाने के कारण।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
25	4059.01.051.96.00.53 कोर्ट बिल्डिंग	132.00	39.10	171.10	159.14	11.96	6.99	परिवर्तित व्यय देरी से प्राप्त होना।
26	4059.60.051.80.90.92 न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं (सी एस एस)	30.00	30.41	60.41	44.37	16.04	26.55	कारण प्रतीक्षित।
27	4070.00.800.89.00.42 सेंट्रल जेल बिल्डिंग	60.00	10.00	70.00	52.28	17.72	25.31	सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति की गैर प्राप्ति।
28	4202.01.202.99.00.53 सेकंडरी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	1,000.00	-559.00	441.00	379.08	61.92	14.04	कार्य की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में कार्य सौंपे जाने के कारण।
29	4202.01.789.98.00.53 सेकंडरी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण (एस सी एस पी)	180.55	-80.55	100.00	48.24	51.76	51.76	कार्य की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में कार्य सौंपे जाने के कारण।
30	5054.04.800.99.00.42 सड़को तथा पुलों का निर्माण	1,283.00	93.00	1,376.00	1,195.23	180.77	13.14	वर्ष के अंत में संस्वीकृत किए गए कार्य का नहीं सौंपा जाना।
कुल		6,557.57	-494.01	6,063.56	4,559.20	1,504.36		

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहां संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचते	बचतों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
अनुदान सं. 5: गृह					
1	2070.00.108.78 अग्नि तथा आपातकालीन सुविधाओं का आधुनिकीकरण (सी एस एस)	2.00	0.00	2.00	वर्ष के अंत में प्राप्त निधियों के प्राधिकृत किए जाने तथा व्यय की कोडल औपचारिकताएं पुरी नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
2	2210.01.110.33 दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	17.00	0.00	17.00	कम अनुदान जारी किए जाने एवं पिछले वर्ष से अलग रखे गए अप्रयुक्त सं.अ. से व्यय किए जाने के कारण।
3	2210.01.200.97.00.42 स्वास्थ्य परियोजना डिवीजन	1.00	0.00	1.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
4	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	40.00	0.00	40.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
5	2211.00.101.76.00.42 ग्रामीण परिवार विकास सेवाएं	7.37	0.00	7.37	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
6	2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार विकास केंद्रों की दुबारा मरम्मत	3.00	0.00	3.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण					
7	2236.02.101.76.00.42 किशोरी लड़कियों के लिए सशक्तिकरण पोषण के अतिरिक्त अन्य घटक के लिए राजीव गांधी योजना (सी एस एस)	1.00	0.00	1.00	निधियों की गैर-प्राप्ति, योजना की धीमी प्रगति तथा वर्ष के अंत में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के कारण।
8	2225.80.789.95.00.42 मैनुअल अपामार्जक के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यालय तथा उनका पुनर्वास (एस सी एस पी)	2.88	0.00	2.88	योजना की धीमी प्रगति थी।
9	2225.80.800.65.00.42 मैनुअल अपामार्जक के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यालय तथा उनका पुनर्वास	4.32	0.00	4.32	योजना की धीमी प्राप्ति एवं स्थानीय निकायों जिनके द्वारा योजना का कार्यान्वयन होना था उनसे कोई प्रस्ताव/दावा प्राप्त नहीं होना।
10	3073.60.800.81.00.42 अन्य योजनाओं के लिए अध्ययन/परामर्शदाता सेवाएं	1.00	0.00	1.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित है।
11	3452.01.190.98 दिल्ली इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नॉलेजी को सहायता अनुदान	4.00	0.00	4.00	निधि जारी न होने के कारण।
12	3452.80.190.93 छावला एवं कांगनहेरी- वाटर- स्पोर्ट्स के विकास के लिए डीटी एंड टीडीसी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	1.10	0.00	1.10	निधि जारी न होने के कारण।

13	3452.80.190.90 संजय झील में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के विकास के लिए डी टी एंड टी डी सी के को सहायता अनुदान (सी एस सी)	3.02	0.00	3.02	निधि जारी न होने के कारण।
अनुदान सं. 9: उद्योग					
14	2851.00.800.59.00.42 ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का समेकन	1.72	0.00	1.72	प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा ई-बिज पोर्टल के संदर्भ में खरीद प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 10: विकास					
15	2053.00.800.92.94.31 दिल्ली ई-जिला-क्रियान्वयन सोसाईटी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान जारी किए जाने तथा भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
16	2015.00.102.89 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	1.76	0.00	1.76	नए बने इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में पदों के सृजन के पूर्वानुमान में रखे गए प्रावधान के कारण।
17	2015.00.103.89.00.42 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	1.00	0.00	1.00	योजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
18	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी एस एस)	5.00	0.00	5.00	निधियों की गैर-प्राप्ति। चूंकि निधियां सीधे दिल्ली जल बोर्ड को जारी की गईं, अलग से निधियां जारी नहीं किए गए।
19	2217.05.800.89.00.42 वॉलंड सिटी के विकास के लिए एस पी वी	1.00	0.00	1.00	योजना की धीमी प्रगति एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन नहीं प्राप्त होने के कारण।
20	2217.80.191.13 नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	377.16	0.00	377.16	कम निधियों के जारी किए जाने, पिछले वर्ष के दौरान निवल कर वसूली के आधार पर तय प्रावधान के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की गैर संस्वीकृति।
21	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (सी एस एस)	7.00	0.00	7.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
22	2801.05.800.86 वी आर एस लामों के लिए आई पी जी सी एल को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
23	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त राहत	25.00	0.00	25.00	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 13: पेंशन					
24	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.50	0.00	122.50	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
राजस्व-भारित					
लोक ऋण					
25	2049.04.104.00.45 गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज	300.00	0.00	300.00	ऋणों का अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
पूँजीगत-दत्तमत					
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
26	4210.01.110.98.00.53 डिस्पेंसरी/ हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण	8.00	0.00	8.00	योजना के गैर क्रियान्वयन तथा परियोजना के प्रारंभ नहीं होने के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

अनुदान सं. 8: समाज कल्याण					
27	4235.02.104.95.00.42 हाफ वे होम / लांग स्टे होम	5.63	0.00	5.63	निर्माण पूरा नहीं होने तथा निधियों के जारी नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 10: विकास					
28	4059.80.800.96 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास केंद्रीय क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
29	4059.80.800.95 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
30	4059.80.800.94 नागरिक स्थानीय क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
31	4059.80.800.93 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
32	4059.80.800.92 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पूर्व क्षेत्र	23.00	0.00	23.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
33	4059.80.800.91 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
34	4059.80.800.90 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर पूर्व क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
35	4059.80.800.89 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर पश्चिम क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
36	4059.80.800.88 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तर क्षेत्र	23.50	0.00	23.50	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
37	4059.80.800.87 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास शाहदरा क्षेत्र	20.00	0.00	20.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
38	4059.80.800.86 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पूर्व क्षेत्र	20.00	0.00	20.00	योजना के गैर क्रियान्वयन के कारण।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
39	4210.04.107.97.00.53 औषधि नियंत्रण के लिए भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00	पी ई की प्रस्तुति तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित होने के कारण।
40	4210.04.107.96.00.53 केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	5.00	0.00	5.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य के योजना स्तर पर होने के कारण।
41	5054.04.800.85.00.53 बी आर टी कॉरीडोर	2.00	0.00	2.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बी आर टी प्रस्ताव के संस्वीकृत नहीं होने के कारण।
42	4801.05.190.84.00.32 समेकित पॉवर विकास योजना के लिए इक्विटी	50.00	0.00	50.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
पूँजीगत भारित					
लोक-ऋण					
43	6004.01.101 संसाधनों में अंतर को कवर करने के लिए ऋण	330.00	0.00	330.00	ऋणों का अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
कुल		1,586.96	0.00	1,586.96	

परिशिष्ट 2.4
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचतें	बचतों के कारण
राजस्व-भारित				
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग				
1	2012.03.090 सं.रा.क्षे. सचिवालय के प्रशासक	0.26	1.96	बकाया दावे को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा आवश्यक मितोपभोग उपाय के कारण।
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग				
2	2013.00.800 अन्य व्यय	0.68	1.48	खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण तथा कम दौरों के कारण।
3	2052.00.090.55 मुख्य सचिवालय	0.83	2.46	कई स्टॉफ के स्थानांतरण, वर्ग IV के कर्मचारियों की पदोन्नति, बकाया दावों के तथा विदेशी दौरों कार्यान्वित नहीं होने के कारण।
4	2055.00.113.95 अपराध तथा अपराधियों की ट्रेकिंग प्रणाली के लिए दिल्ली पुलिस सर्विस सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण को सहायता अनुदान (सी.एफ.एस)	2.73	9.51	सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन				
5	2014.00.105.99 सेशन कोर्ट	4.31	301.50	शेट्टी वेतन आयोग के बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बदले अन्य बकाए तथा पूर्वानुमानित बिलों की गैर-प्राप्ति के कारण।
6	2014.00.106 स्मॉल कॉउजेज कोर्ट	1.47	2.05	ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के शेट्टी वेतन आयोग के बकायों के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।
7	3454.02.800.74.00.42 सामाजिक सुविधा संगम के लिए आई-टी-घटक	1.09	1.10	कारण प्रतीक्षित है।
अनुदान सं. 5: गृह				
8	2070.00.108.78 अग्निशमन एवं आपातकालीन सुविधाओं का आधुनिकीकरण (सी.एस.एस.)	1.99	2.00	प्राप्त निधियों को वर्ष के अंत में प्राधिकृत किए जाने के कारण तथा व्यय के लिए कोडल औपचारिकताएं पूरी नहीं होने का कारण।
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
9	2210.01.800.44.00.42 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस.)	24.99	36.98	कम अनुदान प्राप्त होने के कारण।
10	2210.06.800.77.00.42 एच.आई.वी. /एड्स प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	0.77	1.06	प्राप्त वास्तविक अनुदान के साथ ₹128.99 लाख के आरंभिक शेष के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

11	2210.80.800.80 केंद्रीय प्रापण एजेंसी तथा राज्य औषधि-प्राधिकरण	30.47	2.90	सक्षम प्राधिकारी से व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
12	2210.80.800.59.00.32 दिल्ली आरोग्य कोष	39.99	40.00	परियोजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।
13	2210.01.110.86 लोक नायक अस्पताल	10.79	8.46	कारण प्रतीक्षित है।
14	2210.01.110.87 जी बी पंत अस्पताल	0.50	10.30	रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों तथा बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
15	2210.06.101.37.00.42 लिवर प्रत्यारोपण यूनिट	1.60	1.77	लिवर प्रत्यारोपण यूनिट को प्रारंभ होना था।
16	2210.01.110.89 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल)	4.96	4.38	खरीद प्रस्ताव एवं बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
17	2210.01.110.91 दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशा. का सुधार	10.68	3.74	रिक्त पदों, खरीद प्रस्तावों तथा बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
18	2210.01.110.53 गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	15.98	2.70	एमएसीपी मामलों एवं निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना।
19	2210.01.110.97 गुरु नानक आई सेन्टर	0.54	1.14	रिक्त पद तथा पूर्वानुमानित बिलों की गैर-प्राप्ति।
20	2210.05.105.99.99 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	0.40	9.35	रिक्त पद एवं कम दावे/बिल।
21	2211.00.101.76.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	5.86	7.37	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
22	2211.00.102.80.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)	7.36	8.71	बिलों को अंतिम रूप न दिया जाना।
23	2211.00.102.78.00.42 42 शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का सुधार (सीएसएस)	1.23	3.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
24	2211.00.102.76.00.42 अस्पतालों में पोस्टमार्टम युनिटों पर व्यय	8.49	10.40	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना।
25	2211.00.103.80.00.42 विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एम एम आर	2.50	6.25	सी पी ए द्वारा एम एम आर वैक्सीन की खरीद से संबंधित भुगतान।
26	2210.01.110.67 डा. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	10.06	6.62	पूर्वानुमानित बिलों के प्राप्त न होने तथा कुछ बिल के मुकदमेबाजी में होना।
अनुदान सं 8: समाज कल्याण				
27	2235.02.001.92.00.42 आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा स्वच्छता में वृद्धि (एस डब्ल्यू डी)	0.29	1.78	प्राप्त अपूर्ण बिलों को भुनाए नहीं जाना।
28	2235.02.104.66.00.42 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)	8.78	5.42	जारी निधियों के लिए एल ओ सी प्राप्त नहीं होना।
29	2235.02.001.86 महिला तथा बाल विकास निदेशालय	0.44	1.36	पूर्वानुमानित दावों का प्राप्त नहीं होना।
30	2235.02.102.60.00.42 आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	2.00	2.02	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
31	2235.02.102.54.00.42 किशोर न्यायालय का कार्यान्वयन (बच्चों की सुरक्षा तथा मामले) अधिनियम, 2000)	0.50	1.13	कल्याण समितियों, किशोर न्यायालय बोर्ड तथा डी डब्ल्यू सी डी (मुख्या.) इत्यादि के विभिन्न कार्यालयों की निधि का खर्च नहीं होना।
32	2235.02.102.24.00.50 अन्य प्रभार	1.93	1.54	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन देर से प्राप्त होना।

33	2236.02.101.82.00.42 पूरक पोषण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	19.99	27.20	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के देर से प्राप्त होना।
34	2225.01.789.99 निर्देश एवं प्रशासन	2.16	2.07	रिक्त पद।
35	2225.01.789.92.00.42 पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (एस सी एस पी)	1.99	3.67	प्राप्त आवेदनों का भुगतान के लिए पूर्णतः संवीक्षित नहीं होना।
36	2225-80-800-67-00-42 अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम- राज्य सरकार अंश (योजनागत)	4.41	9.71	योजना के राजस्व विभाग में स्थानांतरित होने तथा कोडल औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई।
37	2041.00.800.73.97.42 पूर्वी दिल्ली नगर निगम	0.12	1.44	अनुमानित पार्किंग चार्ज से कम वसूली तथा एम सी डी को कम राशि हस्तांतरित होना।
38	3055.00.190.99.00.33 डी टी सी को रियायती पासों के बदले सब्सिडी	5.99	6.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
अनुदान सं. 9: उद्योग				
39	3456.00.001 निर्देश एवं प्रशा.	0.55	1.46	भुगतान के बकायों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा प्रचार बिलों के शब्दार्थ द्वारा सीधे भुगतान किया जाना।
अनुदान सं. 10: विकास				
40	2403.00.001.99 मुख्यालय स्था.	0.75	1.04	निधि की देर से प्राप्ति।
41	2403.00.101.97 अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां	0.89	1.06	निधि की देर से प्राप्ति।
42	2404.00.800.96 डेयरी कॉलोनियों का स्थानान्तरण	4.99	5.00	निधि की देर से प्राप्ति।
43	2711.01.001 निर्देश एवं प्रशा.	0.15	3.02	रिक्त पद एवं कम दावे।
44	2711.03.052.98.00.27 रख-रखाव	10.00	3.95	रिक्त पद एवं कम दावे।
45	2053.00.093.95 सचिव राजस्व	5.67	9.02	रिक्त पद एवं कम दावे।
46	2235.01.200.94 सचिव राजस्व	105.73	15.45	आवश्यक प्रमाणपत्रों की कमी के कारण कई लाभार्थी भुगतान हेतु सक्षम नहीं हो सके।
47	2406.02.800.88.00.42 शहरी वनों का निर्माण व रख-रखाव	1.00	1.13	कार्य प्राक्कलन की देरी से प्राप्ति, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
48	2015.00.106.88.99.42 चुनावों पर व्यय	6.60	2.54	परिवर्तित आउटले के देरी से प्राप्ति तथा इसीलिए प्रस्ताव स्पष्ट नहीं थे।
49	2015.00.102.89 शाहदरा जिला	1.75	1.76	नए बने इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में पदों के सृजन के पूर्वानुमान में रखे गए प्रावधान के कारण।
50	2015.00.103.89.00.42 शाहदरा डिस्ट्रिक्ट	0.99	1.00	इस योजना के अंतर्गत कोई मुख्य गतिविधि क्रियान्वित नहीं होना।
51	2015.00.102.88 दक्षिणी पूर्वी डिस्ट्रिक्ट	1.11	1.09	वर्ष के अंत में निधियां प्राप्त होना।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
52	2217.05.800.80.00.42 आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, गलियों, क्षेत्रों, स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि की मजबूती तथा वृद्धि	23.99	24.00	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

53	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	5.00	7.00	परियोजना का क्रियान्वित नहीं होना।
54	2059.80.051 निर्माण	1.25	3.50	पी डब्ल्यू डी के पुनर्विन्यास के कारण देर से सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कम समय बचना।
55	2216.01.106.98 निर्माण	0.25	3.81	पी डब्ल्यू डी के पुनर्विन्यास के कारण देर से सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कम समय बचना।
56	2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीम के कारण बिजली उपभोक्ताओं को एक मुश्त राहत	24.99	25.00	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।
पूँजी-दत्तमत				
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
57	4210.01.110.64.00.52 मशीनरी एवं उपकरण	34.99	25.62	निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना।
58	4210.01.110.96 जी बी पंत अस्पताल	5.00	5.68	प्रशासनिक कारणों से भुगतान जारी नहीं किया जाना।
59	4210.01.110.95 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल	0.80	1.84	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।
60	4210.01.110.92 गुरु नानक आई सेंटर	1.15	4.17	निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
61	4210.01.110.91 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	2.91	3.03	प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
62	5055.00.050.88.00.42 नए बस टर्मिनल के लिए जमीन की खरीद	24.99	1.50	की गई प्रगति के संदर्भ में थोड़ा विचलन होना।
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
63	6215.01.191.81.00.55 चंद्रावल डब्ल्यू टी पी के लिए डी जे बी को ऋण	4.99	7.00	निधियों का अंश प्राप्त नहीं होना।।
64	4059.01.051.98.00.53 यू टी सी एस	0.10	1.02	प्रेषित पी ई, संस्वीकृति प्रतीक्षित।
65	4059.01.051.96.00.53 कोर्ट बिल्डिंग	39.10	11.96	परिवर्तित आउटले का देरी से प्राप्त होना।
66	4059.01.051.89.00.53 दिल्ली इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल; साईंस एंड रिसर्च	22.99	3.47	परिवर्तित आउटले का देरी से प्राप्त होना।
67	4059.60.051.80.90.42 न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचना की सुविधाएं (सी.एस.एस.)	30.41	16.04	देरी से प्राप्त निधियों को प्राधिकृत किया जाना।
68	4070.00.800.89.00.42 सेंट्रल जेल बिल्डिंग	10.00	17.72	कारण प्रतीक्षित।
69	4202.01.203.97.00.42 दिल्ली सरकार प्रायोजित कालेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए	5.00	8.79	द्वारका डी डी यू कालेज के बनने तथा अन्य कॉलेजों की योजना अवस्था में होने के कारण।
70	4202.03.800.89.00.42 प्लेग्राउंड स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का विकास	1.70	2.57	प्रस्तुत पी ई, संस्वीकृति प्रतीक्षित।
71	4210.01.110.99.81.42 ताहिरपुर में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल	1.00	1.25	निर्मित अस्पताल के बनने तथा सौंपने की अवस्था में।
72	4210.01.110.99.57.42 आचार्य भिक्षुक अस्पताल	0.95	1.01	प्रस्तुत पी ई तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित।

73	4210.01.110.99.54.42 भगवान महावीर अस्पताल	0.93	1.05	प्रस्तुत पी ई तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित।
74	4210.04.107.97.00.53 ड्रग कंट्रोल के लिए बिल्डिंग का निर्माण	0.80	1.00	प्रस्तुत पी ई तथा संस्वीकृति प्रतीक्षित।
75	4216.01.106.00.00.53 सामान्य श्रेणी के आवास	15.00	7.54	कुछ स्थानों पर नए आवासीय स्थान के अभी तक योजना अवस्था में होना।
76	5054.04.800.99.00.42 सड़कों तथा पुलों का निर्माण	93.00	180.77	कार्य को वर्ष के अंत में संस्वीकृति देने तथा कार्यान्वयन के लिए कम समय होना।
77	5054.04.800.85.00.53 बी आर टी कॉरिडोर	1.00	2.00	नए बी आर टी प्रस्ताव का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं होना।
78	6801.00.190.94.00.55 दिल्ली ट्रांसको लि. को ऋण।	1.00	1.00	समय की कमी के कारण प्रस्ताव पूरे न होना।
कुल		732.60	967.39	

परिशिष्ट 2.5
वास्तविक प्रावधानों के ₹ एक करोड़ और 60 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण
(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधानों की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के लिए कारण
1	अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन	2070.00.104.97 सतकर्ता निदेशालय	133.83	120.62	90.13	रिक्त पदों का गैर सृजन।
2		2220.01.001.99 जन संपर्क विभाग	526.19	400.00	76.02	प्रचार अभियान को आरंभ न किया जाना।
3		2052.00.090.72 नए तथा प्रशासनिक सुधार	10.00	7.00	70.00	कार्य की धीमी प्रगति।
4	अनुदान सं. 4: वित्त	2040.00.800.82.00.42 प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार तथा जागरूकता अभियान	1.50	1.30	86.67	कम विज्ञापन अभियान
5		2040.00.800.80 कंप्यूटरीकृत प्रणाली	44.31	27.00	60.93	योजना का गैर कार्यान्वयन
6		3454.02.800.73 वाई-फाई सुविधाएं (उप-शीर्ष) अन्य प्रभार	50.00	49.00	98.00	कार्य की धीमी प्रगति
7		4059.01.051.86.00.53 व्यापार तथा कर उपभवन	2.00	1.50	75.00	कार्य की धीमी प्रगति
8	अनुदान सं. 7: विकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	2210.01.102.99 ई एस आई सी को अंशदान	10.00	10.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
9		2210.01.110.14 डी डी यू सुपर स्पेशलिटी को सहायता अनुदान	85.00	79.00	92.94	कम अनुदान जारी किया जाना।
10		2210.01.110.13 राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अंशदान	150.00	135.00	90.00	कम अनुदान जारी किया जाना।
11		4210.01.110.94 डी डी यू	12.50	9.50	76.00	खरीद के अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
12	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण	2235.02.101.61.00.42 अशक्त लोगों के पुर्नवास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2.00	1.85	92.50	कार्य की धीमी प्रगति
13		2235.02.101.50.00.42 हॉम वे होम/लांग स्टे होम्स की स्थापना	2.00	1.95	97.50	योजना का गैर-कार्यान्वयन
14		2235.02.200.81.00.42 ट्रांसजेंडर को वित्तीय सहायता	3.00	3.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
15		2235.02.800.70.00.42 मॉस-मीडिया तथा शिक्षा (एस डब्ल्यू डी)	1.50	1.22	81.33	योजना की धीमी प्रगति
16		3075.60.800.87.00.42 डी एम आर सी को डी एम आर सी स्वयंसेवकों को बिक्री कर/कार्य संविदा की प्रतिपूर्ति	100.00	85.50	85.50	कम प्रतिपूर्ति
17		3452.01.190.98 होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग तकनीकी संस्थान दिल्ली	4.00	4.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।

18	अनुदान सं. 9: उद्योग	5475.00.102.89.00.42 जन वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाना	3.00	3.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
19		5475.00.102.88.00.42 जिला फोरम तथा राज्य आयोग को आवास गृह उपलब्ध कराना	2.00	2.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
20	अनुदान सं. 10: विकास	4059.80.800.96 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास, केंद्रीय जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
21		4059.80.800.95 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
22		4059.80.800.94 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण दिल्ली जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
23		4059.80.800.93 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
24		4059.80.800.92 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पूर्वी जोन	23.00	23.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
25		4059.80.800.91 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
26		4059.80.800.90 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तरी पूर्वी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
27		4059.80.800.89 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास नई दिल्ली जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
28		4059.80.800.88 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास उत्तरी पश्चिमी जोन	23.50	23.50	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
29		4059.80.800.87 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास शाहदरा जोन	20.00	20.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
30		4059.80.800.86 नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास दक्षिण पूर्वी जोन	20.00	20.00	100.00	निधियों को जारी नहीं किया जाना।
31	अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	18.00	11.22	62.33	निधियां जारी नहीं किया जाना।
32		4202.02.104.90.00.53 भवन	45.00	38.25	85.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
33		4210.01.110.99.99.53 अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	438.00	271.80	62.05	निधियां जारी नहीं किया जाना।
34		4210.04.101.89.00.53 जन स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	75.00	67.00	89.33	निधियां जारी नहीं किया जाना।
35		4210.04.107.96.00.53 केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	50.00	45.00	90.00	निधियां जारी नहीं किया जाना।
36		4801.05.190.84.00.32 एकीकृत पावर विकास स्कीम के लिए इक्विटी	50.00	50.00	100.00	इक्विटी जारी नहीं किया जाना।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

37		6801.00.203.91.00.55 प्रगति पावर परियोजना-3 बवाना को ऋण	130.00	110.00	84.62	कम ऋण जारी किया जाना।
38	अनुदान सं. 13: पेंशन	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.50	122.50	100.00	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
39		2049.04.104.00.45 गैर-योजनागत स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज	300.00	300.00	100.00	ऋणों को अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
40		6004.01.101 संसाधनों में ऋणों को पूरा करने के लिए	330.00	330.00	100.00	ऋणों को अनुदानों के रूप में अंतिम रूप नहीं दिया जाना।
कुल			2,950.83	2,537.71		

परिशिष्ट 2.6
विभिन्न अनुदान/विनियोग जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश
अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	सामान्य प्रशासन-प्रभारित	465.00
2	5	गृह-प्रभारित	22.00
3	8	समाज कल्याण-राजस्व-प्रभारित	2.29
4		समाज कल्याण पूंजीगत-दत्तमत	2,644.48
5	10	विकास-प्रभारित	4.95
कुल			3,138.72

परिशिष्ट 2.7
₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ का विवरण
(पैराग्राफ: 2.3.10 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1	अनुदान संख्या 1-विधान सभा	दत्तमत 1.77	0.76	1.01
2	अनुदान संख्या 2-सामान्य प्रशासन	दत्तमत 600.14	529.22	70.92
3	अनुदान संख्या 3-न्यायिक प्रशासन	दत्तमत 338.04	7.21	330.83
		प्रभारित 21.41	17.94	3.47
4	अनुदान संख्या 4-वित्त	दत्तमत 125.43	103.28	22.15
5	अनुदान संख्या 5-गृह	दत्तमत 105.62	45.39	60.23
6	अनुदान संख्या 7-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत 633.62	307.79	325.83
7	अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण	दत्तमत 361.52	120.33	241.19
8	अनुदान संख्या 9-उद्योग	दत्तमत 43.93	28.27	15.66
9	अनुदान संख्या 10-विकास	दत्तमत 506.66	361.68	144.98
10	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत 2,437.94	1,431.95	1,005.99
कुल		5,176.08	2,953.82	2,222.26

परिशिष्ट 2.8
अवास्तविक बजटीकरण जहां सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस तथा
एस सी एस पी के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व: दत्तमत				
	अनुदान सं. 5: गृह			
1	2070.00.108.98.00.42 प्रशिक्षण के लिए उपकरण की खरीद	4.11	0	4.11
2	2070.00.108.78 अग्नि तथा ऊर्जा सेवाओं का आधुनिकीकरण (सी.एस.एस.)	200	0	200
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
3	2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं उप-केंद्र (सी.एस.एस.)	70	0	70
4	2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्सुधार (सी.एस.एस.)	300	0	300
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण			
5	2236.02.101.76.00.42 किशोर लड़कियों के पोषण के अतिरिक्त अन्य संघटक के लिए राजीव गांधी स्कीम	100	0	100
6	2225.01.277.77.00.42 कोचिंग तथा संबंधित योजना (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	5	0	5
7	2225.01.277.70.00.34 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (सी.एस.एस.)	2	0	2
8	2225.01.277.58.00.42 दिलशाद गार्डन में परीक्षा पूर्व कोचिंग के लिए नए केंद्र	5	0	5
9	2225.01.789.84 राजीव गांधी रतन आवास योजना के अधीन अ.जा स्लम निवासियों को वित्तीय सहायता के लिए डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	1	0	1
10	2225.01.789.83.00.42 अ जा के लिए शिक्षा (एस सी एस पी)	10	0	10
11	2225.01.789.82 मातृ शिक्षा सुरक्षा योजना के अधीन अ जा गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	45	0	45
12	2225.01.789.81 अ जा महिलाओं को प्रसव कराए जाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	45	0	45
13	2225.01.800.74.00.42 अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (सी.एस.एस.)	50	0	50
14	2225.80.789.97.00.42 के आई एस एस सोसायटी के साथ कोलाब्रेशन में ईशापुर गांव, दिल्ली में अ जा/अ पि व/अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग तथा अनाथों के लिए आवसीय विद्यालयों की स्थापना	160	0	160
15	2225.02.190.98 अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए सोसायटी (सी.एस.एस.)	100	0	100
16	2225.80.789.96.00.42 अ जा/अ ज जा के लिए डी एस सी एफ डी सी को वित्तीय सहायता (एस सी एस पी)	20	0	20
17	2225.80.789.95.00.42 झाड़ू लगाने वाले तथा उनके सुधार के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन (एस सी एस पी)	288	0	288
18	3452.01.190.77 सैयद-उद-अजायब में पर्यटन काम्प्लैक्स (सी.एस.एस.)	15	0	15
19	3452.80.190.93 छावला तथा कंगनहेड़ी जल संयंत्रों के विकास के लिए डी टी तथा टी डी सी को सहायता अनुदान	110	0	110
20	3452.80.190.90 सॉफ्ट एडवेंचर पार्क, संजय झील के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	302	0	302

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
21	3452.80.190.87 दिल्ली हॉट, आई एन ए नई दिल्ली में नई सुविधाओं के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	15	0	15
22	3452.80.190.86 इंगिफेस्ट के आयोजन के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को स अ (सी.एस.एस.)	4	0	4
23	3452.80.190.84 दिल्ली में त्यौहारों के आयोजन के लिए डी टी एण्ड टी डी एस को स अ (सी.एस.एस.)	50	0	50
24	3452.80.190.83 अद्भुत भारत उत्सव के आयोजन के लिए डी टी एण्ड बी एण्ड सी को स अ (सी.एस.एस.)	15	0	15
अनुदान सं. 9: उद्योग				
25	2851.00.800.59.00.42 ई-बिल पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सी.एस.एस.)	172	0	172
अनुदान सं. 10: विकास				
26	2403.00.101.69 चेचक उन्मूलन सामान्य संघटक पर राष्ट्रीय परियोजना (सी.एस.एस.)	5	0	5
27	2403.00.101.62.00.42 पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (प.स्वा. एवं रो.नि.) (सी.एस.एस.)	5	0	5
28	2403.00.113.96.00.42 बड़ी मात्रा में पशुधन उत्पादकों के अनुमानों के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (सी.एस.एस.)	30	0	30
29	2245.80.102.95.00.42 भूकम्प आपदा प्रबंधन क्षमतापूर्ण भवनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	50	0	50
30	2245.80.102.93.00.21 एस डी एम ए तथा डी डी एम ए का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.)	27	0	27
31	3435.03.789.99.00.42 पर्यावरण के उन्नयन, संरक्षण तथा रोकथाम में गै स सं को सहायता (एस सी एस पी)	2	0	2
32	3435.60.789.99.00.42 वातावरण के सुधार तथा उन्नति में सोसायटी के कमजोर विभागों का सम्मिलन (एस सी एस पी)	1	0	1
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
33	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	500	0	500
34	2216.80.190.87 सभी के लिए आवास हेतु बी यू एस आई बी की स अ (पी एम ए वाई) (सी एस एस)	1	0	1
35	2217.80.191.04.95 क्षमतापूर्ण भवन तथा ए एण्ड ओ ई के लिए शहरी विकास विभाग (सी.एस.एस.)	35.50	0	35.50
36	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आई ई सी क्रियाकलापों के लिए शहरी विकास(सी.एस.एस.)	65	0	65
37	3475.00.108.96.00.42 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	700	0	700
पूँजीगत-दत्तमत				
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
38	5452.01.800.82.00.42 दिल्ली हॉट पीतमपुरा का विकास (सी.एस.एस.)	10	0	10
कुल		3,519.61	0	3,519.61

परिशिष्ट-2.9
वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.12 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		बजट	कुल व्यय	2015-16 की आखिरी तिमाही के दौरान किए गए व्यय		मार्च 2016 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन								
1	222001001990026-विज्ञापन तथा प्रसारण	एन पी वी	100.00	59.90	59.21	98.85	54.88	91.62
अनुदान सं. 6: शिक्षा								
2	220300112510036-वेतन सहायता अनुदान	पी वी	32.00	32.00	27.75	86.72	19.25	60.16
3	420201600940042-स्कूल के भवनों के निर्माण की आउटसोर्सिंग	पी वी	410.00	400.40	257.20	64.24	205.29	51.27
4	620202105940055-इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इ.सू.प्रौ.सं.) दिल्ली को ऋण	पी वी	90.00	90.00	77.50	86.11	77.50	86.11
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
5	221100800950036- वेतन सहायता अनुदान	पी वी	20.00	20.00	12.50	62.50	12.50	62.50
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण								
6	204100800960031-सामान्य सहायता अनुदान	पी वी	36.11	36.27	22.45	61.90	22.40	61.76
7	223502789960004-विधवाओं को पेंशन (एस सी एस पी)	पी वी	18.00	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00
8	223502789990042-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धों की सहायता का विस्तार) (एस. सी. एस पी)	पी वी	60.00	60.00	60.00	100.00	60.00	100.00
9	345280104700042-पर्यटन अवसंरचना	पी वी	12.25	11.58	11.58	100.00	11.58	100.00
10	505500050880042-नए बस टर्मिनल के लिए भूमि की खरीद	पी वी	175.00	173.5	152.19	87.72	141.97	81.83
अनुदान सं. 10: विकास								
11	205300800730035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	23.00	22.99	22.99	100.00	22.99	100.00
12	205300800740035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
13	205300800670035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
14	205300800700035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
15	205300800710035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	23.00	24.69	24.69	100.00	24.69	100.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		बजट	कुल व्यय	2015-16 की आखिरी तिमाही के दौरान किए गए व्यय		मार्च 2016 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
16	205300800750035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	22.50	22.50	22.50	100.00	22.50	100.00
अनुदान सं. 11: शहरी विकास लोक निर्माण								
17	220201103989936-वेतन सहायता अनुदान	एन पी वी	25.85	25.85	18.92	73.19	18.92	73.19
18	220202191989936-वेतन सहायता अनुदान	एन पी वी	32.18	32.18	23.56	73.21	23.56	73.21
19	221501191710035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	28.50	28.50	18.00	63.16	18	63.16
20	221501191980031-सामान्य सहायता अनुदान	पी वी	134.00	134.00	111.50	83.21	111.50	83.21
21	221502191880035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	335.00	335.00	185.00	55.22	185.00	55.22
22	221502191890035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	पी वी	191.00	190.07	190.07	100.00	190.07	100.00
23	221704191550035-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	पी वी	45.00	44.61	44.61	100.00	44.61	100.00
24	280105800850031-सामान्य सहायता अनुदान	एन पी वी	182.18	182.18	182.18	100.00	182.18	100.00
25	360400200840050- न दि न नि को दिए गए बेसिक कर	एन पी वी	30.10	30.10	22.03	73.20	22.03	73.20
26	405960051809042-न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं (सी.एस.एस.)	पी वी	60.41	44.37	30.55	68.86	30.55	68.86
27	420201789980053- विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एस सी एस पी)	पी वी	100.00	48.24	33.44	69.33	31.02	64.30
28	421760050950042-अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	पी वी	189.40	179.53	107.31	59.77	100.12	55.77
29	480105800910042-भूमि की खरीद	पी वी	14.00	13.97	13.97	100.00	13.97	100.00
30	621501191810055-चन्द्रावल डब्ल्यू टी पी के लिए दि ज बो को ऋण	पी वी	25.00	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00
31	621502191860055-जे एन एन यू आर एम परियोजना के लिए दि ज बो को ऋण	पी वी	180.00	180.00	148.75	82.64	148.75	82.64
32	680100190930055-आई पी जी सी एल/पी पी सी एल को ऋण	एन पी वी	250.00	250.00	250.00	100.00	250.00	100.00
33	680100190940055-दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को ऋण	पी वी	201.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00
34	680100203910055-प्रगति पॉवर परियोजना-III बवाना को ऋण	पी वी	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
कुल			3,131.48	2,994.42	2,452.46		2,367.84	

परिशिष्ट-2.10
बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई तथा समाप्त हो गई
(पैराग्राफ 2.5 (ii) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुभाग	बचतों की राशि	अभ्यर्पित बचतों की राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचतों की राशि
1	2013-14	राजस्व दत्तमत	454.47	234.34	220.13
2	2013-14	राजस्व प्रभारित	1.35	1.09	0.26
3	2013-14	पूँजीगत दत्तमत	145.01	88.24	56.77
			600.83	323.67	277.16
4	2014-15	राजस्व दत्तमत	579.22	280.75	298.47
5	2014-15	राजस्व प्रभारित	0.16	शून्य	0.16
6	2014-15	पूँजीगत दत्तमत	185.56	138.70	46.86
			764.94	419.45	345.49
7	2015-16	राजस्व दत्तमत	1131.84	850.18	281.66
8	2015-16	राजस्व प्रभारित	0.22	0.18	0.04
9	2015-16	पूँजीगत दत्तमत	186.74	166.89	19.85
			1,318.80	1,017.25	301.55
		कुल	2,684.57	1,760.37	924.20

परिशिष्ट-2.11
अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत
(पैराग्राफ 2.5 (vii) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष	मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचतें	कारण
2013-14					
1	2202 ए 1(2)(6)(1) (प्रभारित)	0.135	शून्य	0.135	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी मामलों के गैर-अंतिमकरण तथा बिलों के गैर-निपटान के कारण हुई थीं।
2	2202 ए 1(2)(8)(1) (प्रभारित)	0.0125	शून्य	0.0125	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों, एम.ए.सी.पी मामलों के गैर-अंतिमकरण तथा बिलों के गैर-निपटान के कारण हुई थीं।
3	2202 ए 1(2)(8)(21)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
4	2202 ए 1(2)(8)(29)	0.01	शून्य	0.01	बचतें मुख्यतः परियोजना को अंतिम रूप न देने के कारण हुई थीं।
5	2202 ए 1(2)(8)(31)	0.60	शून्य	0.60	बचतें मुख्यतः बिड्स की अपलोडिंग की असफलता के कारण थीं।
6	2202 ए 1(2)(8)(32)	10.00	शून्य	10.00	बचतें मुख्यतः टी सी आई एल के साथ निविदा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा न किए जाए के कारण मुख्य तौर पर हुई थीं।
7	2203 बी 1(5)(18)	0.33	शून्य	0.33	बचतें मुख्यतः परियोजना क्रियान्वित नहीं होने, राशि की अदायगी नहीं करने इसलिए निधियों के जारी नहीं होने के कारण हुई थीं।
8	2203 बी 1(5)(21)	0.12	शून्य	0.12	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
9	2203 बी 1(5)(22)	0.04	शून्य	0.04	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
10	2230 बी2(1)(2)(3)	0.01	शून्य	0.01	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
11	2230 बी 2(1)(3)(1)(2)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
12	2205 एफ 2(1)(21)	1.00	शून्य	1.00	अनुदान की गैर-प्राप्ति के कारण सभी प्रावधान पूर्णरूप से अनुपयोगी पड़े रहे।
13	2202 जे 1(1) (1)(3)	0.20	शून्य	0.20	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
14	6202 बीबी 2(1)(1)(1)	10.00	शून्य	10.00	बचतें मुख्यतः आई आई आई टी के पास प्रयाप्त निधियां पहले से ही उपलब्ध होने, सक्षम अधिकारी द्वारा नई निधि का अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण थीं।
15	4202 जी जी 1(1) (1)(2)	0.05	शून्य	0.05	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
16	4202 जी जी 1(1) (1)(4)	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
17	4202 जे जे 1(1) (1)(2)	0.10	शून्य	0.10	बचतें मुख्यतः प्रस्तावों के अंतिम रूप न देने के कारण थीं।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त-लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

2014-15					
18	2202 ए 1(2)(7)(18)	0.35	शून्य	0.35	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
19	2202 ए 1(2)(7)(25)	0.60	शून्य	0.60	बचतें मुख्यतः बिड्स के अंतिमकरण न किए जाने के कारण हुई थीं।
20	2202 ए 1(2)(7)(26)	10.50	शून्य	10.50	बचतें मुख्यतः निविदा प्रक्रिया को क्रियान्वित न किए जाने के कारण हुई थीं।
21	2202 ए 1(2)(7)(28)	0.20	शून्य	0.20	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
22	2203 बी 1(4)(3)	0.13	शून्य	0.13	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
23	2203 बी 1(5)(10)	1.00	शून्य	1.00	बचतें मुख्यतः परियोजना को क्रियान्वित न किए जाने के कारण हुई थीं।
24	2230 बी 2(1)(3)(5)	10.17	शून्य	10.17	बचतें मुख्यतः प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई थीं।
25	2230 बी 2(1)(5)(3)	0.1094	शून्य	0.1094	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
26	2230 बी 2(1)(5)(4)	0.05	शून्य	0.05	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
27	6202 बीबी 2(1)(1)(1)	25.00	शून्य	25.00	बचतें मुख्यतः ऋण राशि की विलम्ब से मंजूरी तथा उनका आई आई आई टी में स्थानान्तरित नहीं किये जाने के कारण थीं।
2015-16					
28	2202 02 800 32 00 42	0.60	शून्य	0.60	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
29	2203 00 112 48	1.00	शून्य	1.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
30	2203 00 112 47	0.40	शून्य	0.40	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
31	2202 03 001 00 00 27	3.00	शून्य	3.00	विभाग से कारण प्रतीक्षित थे।
32	2202 03 800 87 95 42	0.40	शून्य	0.40	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
पूँजीगत					
33	4202 03 800 98 00 42	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
34	4202 02 105 83	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
35	4202 02 105 88	0.10	शून्य	0.10	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
36	4202 02 105 87	0.06	शून्य	0.06	लेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं था।
कुल		76.7769	शून्य	76.7769	

परिशिष्ट 3.1
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र. सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पू.ले.प.प्र.) जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुत की गई पू.ले.प.प्र.	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए सौंपा जाना प्रतीक्षित है।	2013-14	2013-14	विधायिका में पेश नहीं की गई	-	-
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सिं.इं.वि.वि.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2012-13	2011-12	1999-2003	2013-14 तथा 2014-15	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2009-10	2007-08	2003-2004	2010-11 से 2014-15	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.आ.)	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2014-15	2014-15 (03.12.2015)	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2010-11	स्थिति प्रतीक्षित	2014-15	1

